Website: www.rssrashtriya.org E-mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय: 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001
संरक्षक: सर्वश्री राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा, रामावतार शर्मा, प्रहलाद शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

रमेश चन्द्र पुष्करणा	सम्पत सिंह	महेन्द्र कुमार लखारा
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
9460057712	9413344625	9460209114

क्रमांक: रा.शि.संघ (राष्ट्रीय)/महामंत्री/037 दिनांक- 30/07/2025

श्रीमान भजन लाल जी शर्मा,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः- RGHS योजना में व्याप्त अनियमितताओं के क्रम में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि 29-07-2025 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार "RGHS" ब्रांडेड दवाई की पर्ची देख पहले कहा स्टॉक खत्म हो गया, फिर कैश दिया तो दे दी" ने योजना में चल रही दवा आपूर्ति की गड़बड़ियों को उजागर किया है। इस प्रकार की घटनाएँ योजना की गंभीर छवि को ठेस पहुँचाती हैं, और लाभार्थियों को मानसिक, आर्थिक एवं चिकित्सकीय असुविधा में डालती हैं। अनेक लाभार्थियों की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं किः-

- ब्रांडेड दवाएँ RGHS पर्ची पर नहीं दी जातीं, परंतु नकद देने पर तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं।
- अस्पतालों द्वारा जबरन महंगे टेस्ट करवाए जा रहे हैं जो मेडिकल आवश्यकता से परे होते हैं।
- कई निजी अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करके सामान्य AC रूम में भी लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं।
- हाथ से लिखी डॉक्टर की पर्चियों को फार्मेसिस्ट पढ़ नहीं पाते, और यह कहकर दवा देने से बचते हैं कि "प्रिस्क्रिप्शन स्पष्ट नहीं है।"

संगठन का अभिमत है किः-

1. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को भी RGHS योजना में शामिल किया जाए। ये केंद्र सस्ती, गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराते हैं।
2. यदि कोई दवा जन औषधि केंद्र पर तत्काल उपलब्ध नहीं है, तोः-
   - जन औषधि केंद्रों को निर्देशित किया जाए कि वे दो-चार दिन की दवा बाजार से मंगवाकर मरीज को उपलब्ध कराएँ,
   - और उन दवाओं के prescribed version शीघ्र अपने स्टॉक में जोड़ें।
3. जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क और पहुँच (पैनापन) बढ़ाया जाए ताकि कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक सस्ती दवाएँ सुलभ हो सकें।
4. RGHS योजना के अनुबंधित मेडिकल स्टोर्स की नियमित ऑडिट हो, और जो जानबूझकर दवाएँ नहीं देते, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

5. RGHS पोर्टल पर विकल्प जोड़ा जाए कि जन औषधि केंद्र से प्राप्त दवाओं के बिल अपलोड कर लाभार्थी भुगतान प्राप्त कर सके।
6. प्रिस्क्रिप्शन की स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु सभी अधिकृत चिकित्सकों को टाइप्ड या कम्प्यूटर जनित प्रिस्क्रिप्शन देना अनिवार्य किया जाए। इसे RGHS मान्यता की अनिवार्य शर्त बनाया जाए। इससे फार्मेसियों में "पढ़ा नहीं गया" कहकर दवा न देने का बहाना समाप्त होगा, और सबस्टीट्यूट दवाओं को खोजने में भी सुविधा होगी।
7. अनावश्यक एवं महंगे टेस्टों की प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए एक मेडिकल ऑडिट प्रणाली लागू की जाए जो यह सुनिश्चित करे कि केवल चिकित्सकीय दृष्टिकोण से आवश्यक टेस्ट ही कराए जाएँ।
8. अस्पतालों में जबरन भर्ती की प्रवृत्ति पर लगाम हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल वास्तविक रूप से आवश्यकता होने पर ही मरीजों को भर्ती किया जाए। इसके साथ ही, कमरे के वर्ग (AC/NonAC) के अनुसार निर्धारित अधिकतम चार्ज सीमा भी तय की जाए ताकि किसी सामान्य भर्ती का बिल लाखों में न पहुँचे।
9. डॉक्टरों को यह भी निर्देशित किया जाए कि वे ऐसी दवाएँ लिखें जिनके जेनरिक विकल्प जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध हों, जिससे लाभार्थी भटकने से बचे।
10. वर्षपर्यन्त चलने वाले दीर्घकालिक रोगों के लिए (जैसे मधुमेह, उच्च-रक्तचाप, थायरॉइड, कैंसर व एवं अन्य क्रॉनिक बीमारियां आदि), प्रति माह पर्ची लेने की बाध्यता समाप्त कर तीन माह की दवा एक साथ दी जाए, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे बार-बार अस्पतालों के चक्कर लगाने की परेशानी से बच सकें।

RGHS योजना को कर्मचारी हितैषी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऊपर बताए गए सुधारात्मक कदमों से न केवल दवा आपूर्ति, बल्कि चिकित्सकीय पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन और योजना की विश्वसनीयता में अत्यंत सकारात्मक सुधार आएगा।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस ज्ञापन में प्रस्तुत सुझावों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(महेंद्र कुमार लखारा)
महामंत्री